बिहार सरकार

समाहरणालय, मधुबनी
(जिला कल्याण)

निविदा आमंत्रण सूचना

निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना पत्र संख्या–4323 दिनांक–07.06.2016 के आलोक में अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों हेतु आवश्यक सामग्रियों का क्रय एवं आपूर्ति किया जाना है, जिसके लिए इच्छुक आपूतिकर्त्ताओं से सीलबन्द निविदा जिला कल्याण शाखा, मधुबनी में सूचना प्रकाशन की तिथि से 11.00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 बजे अपराह्न तक प्रत्येक कार्य दिवस में आमंत्रित की जाती है।

1. निविदादाताओं को मो0 15,000.00(पंद्रह हजार) रूपये जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा, जो जिला कल्याण पदाधिकारी, मधुबनी के पक्ष में मधुबनी में भुगतेय हो। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि दैनिक समाचार पत्र में निविदा प्रकाशन की तिथि से दस(10) दिनों तक होगी।
2. उप विकास आयुक्त, मधुबनी की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के समक्ष निविदा अंतिम तिथि के 3.00 बजे अपराह्न में खोली जायेगी, जिसमें निविदाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थित रहेंगे।
3. क्रय की जाने वाली सामग्री की सूची जिला कल्याण कार्यालय, मधुबनी में निविदा प्रकाशन तिथि से किसी भी कार्य दिवस को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे अपराह्न तक देखी जा सकती है।

निविदा की शर्तें :–

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा(Technical and Financial) अलग–अलग शील्ड/मुहरबन्द लिफाफे में ली जायेगी।
2. तकनीकी निविदा के साथ पैन नम्बर, अद्यतन आयकर विवरणी दाखिल करने का साक्ष्य, बिक्रीकर का निबंधन संबंधी प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
3. तकनीकी निविदा के साथ निर्धारित जमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।
4. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
5. वित्तीय निविदा में सभी अनुमान्य कर एवं परिवहन व्यय शामिल करते हुए सामग्री की दर स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक है। वित्तीय निविदा में कटिंग या ओभरराईटिंग मान्य नहीं होगा।
6. निविदा में अंकित दर के विरूद्ध आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों के नमूना के साथ निविदादाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि क्रय समिति के समक्ष उपस्थित रहेंगे, ताकि उच्च गुणवत्ता एवं न्यूनतम दर वाले को प्राथमिकता दी जा सके।

7. सामग्री की आपूर्ति करने के उपरान्त विधिवत प्राप्त रसीद समर्पित करने के पश्चात भुगतेय राशि का भुगतान किया जायेगा। किसी प्रकार का अग्रीम एवं परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
8. निविदा स्वीकृति के पश्चात् संबंधित सफल आपूर्तिकर्त्ता को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पूर्व में ही एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा कि आपूर्ति आदेश के एक पक्ष के भीतर स्वीकृत नमूना के अनुरूप उचित संख्या, साईज, गुणवत्ता, मात्रा के अनुसार सामग्री की आपूर्ति निश्चित रूप से कर देंगे, अन्यथा प्रतिभूति राशि जब्त कर उनके विरूद्ध कानून की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी।
9. स्वीकृत किये गये सामग्री की आपूर्ति नहीं किये जाने एवं आपूर्ति की गयी सामग्रियों में गुणवत्ता एवं किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर आपूर्तिकर्त्ता पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी एवं भुगतान नहीं किया जायेगा।
10. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष निविदादाताओं को जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
11. अंकित सामग्री/विशिष्टि के अतिरिक्त अपने से किसी प्रकार का अन्य सामग्री का दर ना भरें।
12. कोई भी निविदा एवं दावा मधुबनी जिला न्यायिक क्षेत्र के अधीन होगा। विशेष जानकारी के लिए जिला कल्याण कार्यालय, मधुबनी से सम्पर्क कर सकते हैं एवं विस्तृत जानकारी के लिए बेवसाईट www.madhubani.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।
13. सामग्री के गुणवत्ता को दृष्टि में रखते हुए न्यूनतम दर के निविदाकर्त्ता को अधिमान्यता दी जायेगी।
14. आपूर्ति सामग्री के गुणवत्ता एवं विशिष्टिता सत्यापन के पश्चात् अनुमान्य बिक्रीकर एवं आयकर तथा अन्य अनुमान्य करों की कटौती कर भुगतान किया जायेगा।
15. निविदादाता संबंधित फॉर्म को इस आशाय का शपथ पत्र मूल में समर्पित करना होगा, कि उन्हें किसी सरकार विभाग द्वारा पूर्व में काली सूची में नहीं डाला गया हो।
16. अपरिहार्य कारण से भुगतान में बिलम्ब होने पर किसी भी प्रकार की सूद की राशि देय नहीं होगा।
17. स्वीकृत निविदादाता को कार्यादेश मिलने के पश्चात् या भुगतान के पूर्व वाणिज्यकर विभाग/आयकर विभाग को स्वच्छता प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
18. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने एवं ससमय सामग्री आपूर्ति नहीं करने पर निर्धारित दर पर अन्य निविदादाताओं से सामग्रियों की आपूर्ति लिया जा सकता है एवं विस्तृत जानकारी के लिए बेवसाईट www.madhubani.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

जिला कल्याण पदाधिकारी
मधुबनी।

उप विकास आयुक्त
मधुबनी।